50

समक्ष-न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक...../2016 निग.-3213-I-16

आवेदक- बन्ने सिंह वल्द चाईलाल गोंड
निवासी-ग्राम मोहनी तह0 बरही जिला कटनी म0प्र0

विरूद्ध

अनावेदक- म0प्र0शासन

पुनरीक्षण आवेदनपत्र-अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण/निगरानी आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय **श्रीमान कलेक्टर जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/अ-21/2015-16, में पारित आदेश दिनांक 05.09.2016** से व्यथित होकर निम्न लिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है:-

// प्रकरण के तथ्य //

1. यह कि, आवेदक ग्राम मोहनी तहसील बरही जिला कटनी का स्थाई निवासी है।
2. यह कि, आवेदक के द्वारा ग्राम इमलिया प0ह0नं0 27, तह0 बड़वारा, जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 196, 238/2, 257 रकवा क्रमशः 0.05, 0.98, 0.48 हे0 कुल रकवा 1.51 हे0 भूमि राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज है जो कि आवेदक के स्थानीय निवास से काफी दूर स्थित है तथा उसके पैत्रक ग्राम एवं आवेदित ग्राम इमलिया स्थित भूमि के बीच में नदी स्थित होने आवेदक को कृषि कार्य करने में असुविधा होती है। आवेदक उक्त भूमि को बेचकर अपनी पैत्रृक भूमि ग्राम मोहनी की 5.00 हे0 एवं 1.01 हे0 भूमि को कृषि कार्य हेतु और अधिक उपजाऊ बनाना चाहता है जिस हेतु वह ग्राम इमलिया स्थित भूमि खसरा नंबर 196, 238/2, 257 रकवा क्रमशः 0.05, 0.98, 0.48 हे0 कुल रकवा 1.51 हे0 भूमि के विक्रय की अनुमति प्रदान करने बाबत् विधिवत आवेदनपत्र माननीय न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. यह कि, आवेदक के पास ग्राम इमलिया तहसील बड़वारा की भूमि के अतिरिक्त ग्राम मोहनी, प0ह0नं0 16, रा0नि0मं0 बरही, तहसील-बरही, जिला-कटनी में खसरा नंबर 152/1, 162/1, 166/1, 276/1, 241/1, 292/1, 348/1, 389/1, 424/1, 439/1, 410/1, 528, 559/1, 667 रकवा क्रमशः 0.08, 0.09, 0.01, 0.32, 0.03, 1.61, 0.57, 0.27, 0.04, 0.71, 0.52, 0.48, 0.20, 0.07, कुल रकवा 5.00 हे0 लगानी 10.35 पैसा स्थित है। जो उसके परिवार के जीवन यापन एवं भरण पोषण के लिये पर्याप्त भूमि है।
4. यह कि, आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को माननीय न्यायालय ने राजस्व प्रकरण क्रमांक **क्रमांक 16/अ-21/2015-16,** के रूप में दर्ज कर अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, बड़वारा से जांच प्रतिवेदन हेतु भेजा गया तदुपरांत अनुविभागीय अधिकारी, बड़वारा द्वारा तहसीलदार बड़वारा, को जांच प्रतिवेदन हेतु प्रकरण भेजा गया।
5. यह कि, तहसीलदार बड़वारा ने उक्त भूमि के संबंधित ग्राम में विधिवत इश्तहार का प्रकाशन कराया गया समय सीमा में कोई भी आपत्ति प्राप्त नही हुई तथा संबंधीत हल्का पटवारी से आवेदित भूमि के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में जांच प्रतिवेदन लिया गया।

क्रमशः...2...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3213/एक/2016 जिला–कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
4-10-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी के प्रकरण क्रमांक 16/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा इमलिया प.ह.नं.27 तहसील बडवारा, जिला कटनी में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 196, 238/2, 257 रकवा क्रमशः 0.05, 0.98, 0.48 कुल रकवा 1.51 हैक्टेयर राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज है, जोकि आवेदक के स्थानीय निवास से काफी दूर स्थित तथा उसके पैतृक गांव एवं आवेदित ग्राम इमलियास्थित भूमि के बीच में नदी स्थित होने से आवेदक को कृषि कार्य करने में असुविधा होती है। आवेदक उक्त भूमि को बेचकर अपनी पैतृक भूमि ग्राम मोहिनी की रकवा 5.00 हैक्टेयर एवं 1.01 हैक्टेयर भूमि को कृषि कार्य हेतु उपजाऊ बनाना चाहता है, जिस हेतु वह ग्राम इमलिया स्थित भूमि खसरा क्रमांक 196, 238/2, 257 रकवा क्रमशः 0.05, 0.98, 0.48 कुल रकवा 1.51 हैक्टेयर भूमि को विक्रय करने की अनुमति हेतु दिये जाने हेतु आवेदन कलेक्टर जिला कटनी के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया। कलेक्टर जिला कटनी द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र पर विधिवत् विचार किये बिना पारित आदेश दिनांक 05.09.2016 से आवेदक की	

ओर से प्रस्तुत भूमि विक्रय की अनुमति का आवेदन पत्र युक्तियुक्त एवं विधि सम्मत नहीं होने के आधार पर निरस्त कर दिया गया, इसी आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक द्वारा अपने स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि के विक्रय हेतु अनुमति आवेदन पत्र कलेक्टर जिला कटनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिसपर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनुशंसा की गयी थी ऐसी स्थिति में जो आदेश कलेक्टर जिला कटनी द्वारा पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है।

आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी उल्लेख किया है कि कलेक्टर जिला कटनी द्वारा विक्रय अनुमति के आवेदन पर सद्भाविक विचार नहीं किया। क्योंकि आवेदक द्वारा भूमि विक्रय करने के पश्चात् उसके पास ग्राम मोहिनी में रकवा 5.00 हैक्टेयर एवं रकवा 1.01 है0 भूमि शेष बचेगी जिससे वह भूमिहीन नहीं होगा और वह उपरोक्त भूमि को विकसित कर कृषि योग्य बनायेगा। ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सद्भाविक विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है। आवेदक अपनी भूमि को इस कारण भी विक्रय करना चाहता है क्योंकि उसके निवास स्थान से विक्रय की जानी वाली भूमि अधिक दूरी पर है जिससे वह सफलता पूर्वक कृषि कार्य

नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिये थी। उपरोक्त तथ्य पर विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, अतः आदेश अपास्त किया जाये एवं आवेदक को भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाये।

5— अनावेदक शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया है कि कलेक्टर जिला कटनी द्वारा उपरोक्त प्रकरण विधिवत् विचार करने के पश्चात् विक्रय अनुमति का आवेदन पत्र निरस्त किया है। क्योंकि प्रकरण में भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के संबंध में कोई पर्याप्त कारण नहीं दिये गये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधिवत् एवं सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

6— उभयपक्षों के अभिभाषको के तर्को के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा ग्राम इमलिया स्थित भूमि खसरा क्रमांक 196, 238/2, 257 रकवा क्रमशः 0.05, 0.98, 0.48 कुल रकवा 1.51 हैक्टेयर भूमि का विक्रय अनुबंध पत्र उमाशंकर बल्द चन्दनसिंह रघुवंशी, ग्राम इमलियाके साथ किया गया है। जिसके संबंध में तहसीलदार तहसीलदार बडवारा द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिये गये है ऐसी स्थिति प्रतिवेदनों के विपरीत कार्यवाही नहीं की जा सकती। जहॉ तक आवेदक के भूमि विक्रय करने के पश्चात् भूमिहीन होना का प्रश्न है तो यह अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक पास ग्राम मोहिनी में रकवा 5.00 हैक्टेयर एवं 1.01 हैक्टेयर भूमि शेष बचेगी जिससे वह भूमिहीन नहीं होगा।

आवेदक के निवास स्थान से विक्रय की जानी वाली भूमि अधिक दूरी पर है ऐसी स्थिति में भी आवेदक उपरोक्त भूमि पर सफलता पूर्वक कृषि कार्य किया जाना संभव नहीं है, जिससे आवेदक को लाभ के स्थान पर हानि हो रहीं है। ऐसी स्थिति में भी सद्भावना पूर्वक विचार कर विक्रय अनुमति दी जानी चाहिये थी। इस तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश कलेक्टर जिला कटनी द्वारा पारित किया गया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/अ—21/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम इमलिया प.ह.नं.27 तहसील बडवारा, जिला कटनी में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 196, 238/2, 257 रकवा क्रमशः 0.05, 0.98, 0.48 कुल रकवा 1.51 हैक्टेयर भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाती है।

सदस्य